# FORM No. III

## फर्द अहकाम

**(नियम 26)**

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा।

गोपाल बनाम राम नारायण वगै.

किस्म मुकदमा 188 R.T नं. 129 सन् 2020

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27/8/25 | पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा वास्ते पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की आराजी खेड़ली पाण्डे ग्राम में स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज है जिस पर वाद माननीय न्यायालय में जैरकार है। प्रार्थी की आराजी पर प्रार्थी ने फसल बो रखी थी जिसको अप्रार्थीगण देवलाल, भोजराज, कालूलाल आदि ने दिनांक 05.04.2025 से 10.04.2025 के बीच फसल काट ले गये और प्रार्थी ने जब इसकी शिकायत थाने व एस0पी0 साहब को की तो उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा धमकाया जाता है तथा जमीन पर कब्जा करना चाहते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब तक मूल वाद का निस्तारण नही हो जाता तब तक प्रार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जाये अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो तो प्रदान की जावे।<br><br>अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थी ने ना तो ग्राम खेडली पाण्डे के किसी खसरा नम्बर व कितीन बीघा भूमि पर प्रार्थी काबिज है का कोई स्पष्ट अंकन नही किया है। केवल मात्र प्रार्थी काबिज है ओर वाद माननीय न्यायालय में जैरकार है इस प्रकार कौरी कल्पना एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की आराजी पर प्रार्थी ने फसल बो रखी है, ऐसा उल्लेख किया गया है। यहां भी प्रार्थी द्वारा यह उल्लेख नही किया गया है, प्रार्थी ने किसकी फसल बो रखी थी तथा कितने बीघा में बो रखी थी, इसका भी अंकन नही है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध फसल काटकर ले जाने के आरोप में कथन है कि प्रार्थी की बात को प्रार्थना–पत्र के कथनानुसार स्वीकार करते हुये भी अप्रार्थीगण दिनांक 5–4–2025 से दिनांक 10–04–2025 के बीच प्रार्थी की बोई हुई फसल को काटकर ले गये, जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध थाने व पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी, जिस पर बाद जांच थानाधिकारी महोदय व एस.पी. साहब कोटा शहर अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण चोरी का न मानते हुऐ ही अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही अमल में नही लाई गयी। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा धमकाने व प्रार्थी की जमीन पर कब्जा करने के सम्बंध में भी प्रार्थी थानाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय के यहां भी अपने आरोपो को सिद्ध नही कर पाया है, जिस कारण से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवम | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | थानाधिकारी महोदय कैथून कोटा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही अमल में नही लाई गयी। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा है, अप्रार्थी क्रम 1 रामनारायण ही अपने पिता के जीवनकाल से ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थना–पत्र में क्या अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा रिलीफ चाही गयी है यह भी अंकन एवम वर्णन नही किया गया है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि विरूद्ध होने से प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्तनीय है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।<br>प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से बहस सुनी गई।<br>बहस प्रार्थना–पत्र उभयपक्ष की ओर से सुने जाने के पश्चात् पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसा कोई भी ठोस दस्तावेज पेश नही किया है जिससे प्रार्थी के कथनों की पुष्टि की जा सके। जिस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 वादग्रस्त कृषि आराजी के रिकॉर्डड सहखातेदार है। कानून रिकॉर्डड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है और रिकॉर्डड खातेदार अप्रार्थी नं0 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने में प्रार्थी के मुकाबले प्रतिपक्षी को ही अधिक असुविधा होगी, जिसके कारण सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु ही प्रार्थी के विरूद्ध पाया जाता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली कायमी तनकीयात वास्ते दिनांक 8/9/25 को पेश हो। | |